हरियाणा सरकार
मत्स्य पालन विभाग

रि–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर0ए0एस0) यूनिट के अनुदान हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण

सर्वःसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य मे वर्ष 2019–20 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नीली क्रान्ति के अन्तर्गत रि–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर0ए0एस0) यूनिट के अनुदान हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जा रहे है । इस प्रोजैक्ट को क्रियान्वित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/मत्स्य किसानों से आवेदन दिनांक 28.09.2019 तक अपना आवेदन पत्र दे सकता है । विभाग द्वारा उक्त केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत् नीली क्रान्ति के अन्तर्गत रि–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर0ए0एस0) मे प्रदान किये जाने वाले अनुदान का मुख्य स्वरूप इस प्रकार हैः–

- इस परियोजना के तहत् हरियाणा राज्य के सभी जिलों के इच्छुक प्रार्थी जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि या लम्बी पटट्ा अवधि (कम से कम 10 वर्ष) की 1.00 एकड भूमि उपलब्ध हो तो भारत सरकार की दिशा–निर्देशानुसार/मापदण्डो(Guidelines) के अनुसार रि–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर0ए0एस0) की यूनिट का निर्माण, खाद खुराक इत्यादि कि कुल लागत 50.00 लाख पर 40 प्रतिशत की दर से अनुदान सामान्य वर्ग को व 60 प्रतिशत की दर से अनुदान कमजोर वर्ग जैसे महिला/अनुसूचित जाति/जन–जाति/ सहकारी समिति को दिया जायेगा तथा शेष बकाया धनराशि प्राथी स्वयं/बैक द्वारा ऋण लेकर वहन करेगा ।
- प्रार्थी को केवल एक यूनिट (1.00 एकड़) पर ही अनुदान का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी व जिला मत्स्य अधिकारी को अपना आवेदन पत्र जमा करवाना होगा ।
- प्रार्थी द्वारा विभाग के नियम एवं शर्तो की अनुपालना मे एक शपथ पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
- उक्त प्रोजैक्ट हेतु प्रार्थी की न्यूनतम आयु 21 व अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- राजस्व विभाग से प्राप्त जमीन के दस्तावेज, Clear Title मे दर्शाया जाना चाहिए ।
- प्रार्थी का चयन प्रौजेक्ट के मापदण्ड एवं नियमानुसार प्राप्त अकों के आधार पर किया जायेगा ।
- वरियता उन प्रार्थी दी जायेगी जो कि 10+2 विज्ञान सकांय (बायोलोजी सहित) /विज्ञान स्नातक (बायोलोजी सहित) होगें। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Weightage of marks for selection of RAS unit is as follow:-

Criteria		Weightage in marks	Maximum weightage in marks
9- Qualification	10th	5	25
	12th with science	7	
	Gradute	12	
	Science Graduate	15	
	Post Graduate	18	
	Post Graduate with science	20	
	M.sc Fisheries	25	
10- Experince in fisheries Production	Upto 5 years	15	45
	Upto 10 years	30	
	Upto 15 years and above	45	
11- For innovative activities in fisheries prize/holder	District level	5	10
	State level and above	10	
12- Fish Processing facility/Hatchery available		20	20
	Total	**100**	

- अनुदान का लाभ बैंक ऋण पर भी प्रदान किया जायेगा तथा अनुदान बैंक ऋण व स्वंय व्यय स्थापित यूनिट पर भी प्रदान किया जायेगा।

- अनुदान का लाभ प्रार्थी व उन पर निर्भर परिवार के अन्य सदस्य जो कि विभाग द्वारा किसी अन्य स्कीम/प्रोजेक्ट मे भूतपूर्व में लाभ प्राप्त कर चुके है, तथा नये मत्स्य पालकों का महत्वता दी जायेगी।

- परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही इस प्रोजैक्ट के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा।

- इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रशिक्षण व एक्सपोजर विजिट अनुदान हेतु अनिवार्य है ।

वर्ष 2019–20 मे हरियाणा राज्य मे केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत् नीली क्रान्ति के अन्तर्गत रि–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर0ए0एस0) यूनिट के अनुदान हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का फोटो

1	आवेदक का नाम	
2	पिता /पति का नाम	
3	स्थाई पताः (राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि सहित)	
4	आवेदक की आयु	
5	भूमि का विवरणः	
क	भूमि की मलकियत फर्द/ जमाबंदी सहित	
ख	पटट्े पर ली गई भूमि के दस्तावेज/ रसीद	
6	स्थान जहां आर0ए0एस0 यूनिट स्थापित किया जायेगा	
क	गांव का नाम	
ख	स्थान का नाम	
ग	स्थान का किला न0	
घ	स्थान का क्षेत्रफल (एकड मे)	
7	पूजीं निवेश का स्त्रोत :	
क	बैंक लोन	
ख	स्वंय निवेश (वार्षिक आयकर विवरण सहित)	
8	शैक्षणिक योग्यता अनुभव सहित (सम्बन्धित जिलें के उप–निदेशक मत्स्य द्वारा सत्यापित दस्तावेज)	
9	आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विभाग के शर्तो एवं दिश–निर्देशानुसार उक्त परियोजना का कार्य 10 वर्षो तक करेगा तथा 60 प्रतिशत धनराशि स्वयं/ऋण द्वारा वहन करेगा ।	
10	मत्स्य पालन के क्षेत्र मे नई गतिविधियो मे पुरस्कार धारक (हॉ/नही) यदि हॉ तो विवरण बताऐं ।	
11	मत्स्य प्रसंस्करण सुविधा/ हैचरी उपलब्ध (हॉ/नही) यदि हॉ तो विवरण बताऐं ।	

* आवेदन के समय प्रार्थी अपने सभी दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे व मूल दस्जावेज सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय मे सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें ।

दिनांक :   आवेदक के हस्ताक्षर

मत्स्य अधिकारी

जिला मत्स्य अधिकारी

नोट :– **अधिक जानकारी हेतु मण्डल स्तर पर उप–निदेशक मत्स्य एवं जिला स्तर पर** सम्बन्धित **जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते है । प्रोजैक्ट** रि–सर्कुलेटरी **एक्वाकल्चर सिस्टम (आर0ए0एस0) यूनिट के अनुदान से सम्बन्धित जानकारी** विभागीय **वैबसाईट www.harfish.gov.in पर भी उपलब्ध है ।**

निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा,
पंचकूला ।